भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2762

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2025

आवास किराया भत्ते में असमानता

2762. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप (एमएएनएफ) के अंतर्गत अध्येताओं को दिए जाने वाले आवास किराया भत्ते (एचआरए) में और यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ) योजनाओं के अंतर्गत अध्येताओं को दिए जाने वाले आवास किराया भत्ते की तुलना में असमानता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर यह देखते हुए कि ये सभी अध्येता समान शैक्षणिक और शोध कार्यों में लगे हुए हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार की यूजीसी जेआरएफ/एसआरएफ अध्येताओं को दिए जाने वाले आवास किराया भत्ते और संबंधित लाभों के अनुरूप एमएएनएफ अध्येताओं के लिए आवास किराया भत्ते और संबंधित लाभों में समानता लाने की मंशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): मंत्रालय ने भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, 01.01.2024 से एमएएनएफ के अंतर्गत आवास किराया भत्ते (HRA) की संशोधित दरें लागू करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। इस प्रकार, यूजीसी जूनियर रिसर्च फ़ेलोशिप (JRF) और सीनियर रिसर्च फ़ेलोशिप (SRF) योजनाओं के अंतर्गत शोधार्थियों को प्रदान किए जाने वाले आवास किराया भत्ते से तुलना में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) के अंतर्गत शोधार्थियों को प्रदान किए जाने वाले आवास किराया भत्ते (HRA) में कोई असमानता नहीं है।

*****